"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013 (आषाढ़ 25, 1935)

क्रमांक-8778/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 1 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 1 के खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 कहलायेगा."

धारा 15 का संशोधन

३ मूल अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) में, शब्द "तथा" के पश्चात् तिर्यक चिन्ह एवं शब्द "/या" को विलोपित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य में प्रत्येक परिवार को न केवल खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है बल्कि साथ ही साथ राज्य के प्रत्येक परिवार को पोषक आहार भी उपलब्ध कराया है. छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा राज्य के प्रत्येक परिवार को पोषक आहार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उठाये गये कदमों के अनुरूप अधिनियम को बनाने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) के शीर्षक एवं प्रावधान को संशोधित किया जाए.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 4 जुलाई, 2013

पुन्नूलाल मोहले
खाद्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) धारा 1 की उपधारा (1) एवं धारा 15 की उपधारा 4 (ग) का सुसंगत उद्धरण :—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 1 की उपधारा (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) कहलायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 15 की उपधारा (4) (ग) समस्त ऐसे परिवार जो नगरीय क्षेत्रों में ऐसा पक्का मकान धारित करते हैं जो एक हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का हो, तथा/या जो स्थानीय निकाय के प्रचलित नियमों के अनुसार सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु दायी हों.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.